भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5277

दिनांक 04.04.2022 को उत्तर के लिए

वन कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना

5277. श्री विजय बघेल:
श्री रंजीत सिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:
अरुण साव:
श्री देवजी पटेल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वानिकी क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास के संबंध में वन कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई व्यापक नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को उक्त प्रयोजन हेतु वन अकादमी की स्थापना के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित किए गए कुल वनकर्मियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में आवंटित और खर्च की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) जी हां। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश-प्रशासनों, दोनों द्वारा वानिकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए), देहरादून और वन शिक्षा निदेशालय (डीएफई) की केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी (सीएएसएफओएस) क्रमश: भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों और राज्य वन सेवा (एसएफएस) अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। वन शिक्षा निदेशालय (डीएफई) आवश्यकतानुसार अपने चुनिंदा केंद्रों पर रेंज वन अधिकारियों (आरएफओ) के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है।

डीएफई, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और संचालित विभिन्न रेंज वन अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेजों में रेंज वन अधिकारियों (आरएफओ) के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम भी समन्वित करता है।

ये संस्थान, वनवर्धन, अवक्रमित वन क्षेत्रों की बहाली, उन्नत वनीकरण तकनीकें, वन्यजीव संरक्षण, वनों का सर्वेक्षण और वन उत्पादों के उपयोग सहित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास में नवीनतम संगत विषय-वस्तुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ऐसे प्रशिक्षण वन अधिकारियों और कर्मचारियों को सुदूर

संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और डिजीटल का अनुप्रयोग सहित नवीनतम तकनीकों से भी परिचित कराते हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें, फ्रंटलाइन वन अधिकारियों और स्टाफ कर्मियों को वानिकी के क्षेत्र में संबंधित तकनीकी विषयों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न वन प्रशिक्षण अकादमियों/प्रशिक्षण विद्यालयों को संचालित करती हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कथित उद्देश्य के लिए वन अकादमी की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

(ड़) और (च) यह मंत्रालय, देश में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले वन कर्मियों की संख्या का मिलान नहीं करता है।

हालांकि, पिछले तीन वर्षों के दौरान आईएफएस/एसएफएस/आरएफओ के प्रशिक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा खर्च की गई कुल निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	**2019**	**2020**	**2021**
व्यय की गई कुल निधियां (₹)	43.939 करोड़	28.63 करोड़	29.10 करोड़

******